भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1532

(दिनांक 12.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

पटकथा लेखन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों का बढ़ता उपयोग

1532. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय फिल्म उद्योग में संवाद, कथा-वस्तु तथा पटकथाएँ तैयार करने हेतु फिल्म और मीडिया पटकथा-लेखन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित उपकरणों के बढ़ते उपयोग से अवगत है;

(ख) क्या सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करके फिल्म निर्माण तथा पटकथा-लेखन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार भारतीय फिल्म उद्योग में संवाद, कथानक और पटकथा तैयार करने सहित फिल्म और मीडिया पटकथा-लेखन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टूल्स के बढ़ते उपयोग से अवगत है।

वर्तमान में, चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन के माध्यम से फिल्म निर्माण और पटकथा-लेखन में एआई के उपयोग को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****